कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) म.प्र. भोपाल

(कक्ष- स्टेट टाइगर स्ट्राइक फॉर्स)
वन भवन, भोपाल दूरभाष 0755-82674248, 2674318 फैक्स 075582766315 E-mail-pccfwl@mp.gov.in

क्र./STSF/WLC/I/1247504/2026 दिनांक 18-08-2026

ALERT NO. 02/2026-27

विषयः- चीता विचरण क्षेत्र (Cheetah Landscape) वाले जिलो/वनमंडलो में सघन गश्त एवं सतर्कता हेतु विशेष अलर्ट।

--00--

दिनांक 23 जुलाई 2026 को आगरा (उ.प्र) में आगरा पुलिस एवं आगरा वन विभाग ने तेंदुए की 10 खालों के साथ तस्करों को पकड़ा गया था। इस प्रकरण के तार मध्यप्रदेश से जुड़े होने पर मध्य प्रदेश स्टेट टाइगर फ़ोर्स (STSF) एवं स्थानीय वन अमले द्वारा गठित टीमों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए इस कृत्य में लिप्त 07 शिकारियों को श्योपुर एवं मुरैना जिले से गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर श्योपुर व मुरैना जिले से भारी मात्रा में तेंदुए के अवयव, कंकाल तथा शिकार करने में प्रयुक्त 03 नग विशेष प्रकार के फंदे (Leg Hold Trap) जप्त कर दो वन अपराध प्रकरण दर्ज किए गए हैं। शिकारियों द्वारा कुल 10 तेंदुओं का शिकार किया जाना स्वीकारा गया है, जिसमें से 06 कूनो वन्यजीव वनमंडल में, 02 श्योपुर वनमंडल में तथा 02 चंबल अभ्यारण्य, मुरैना वनमंडल में किए जाने की पुष्टि हुई है। यह संपूर्ण क्षेत्र अति-संवेदनशील 'चीता लैंडस्केप' (Cheetah Landscape) में शामिल है। इतनी मात्रा मे शिकार हो जाना चिंताजनक है। इसी प्रकरण में आगे की कार्यवाही कर मध्य प्रदेश STSF एवं केन्द्रीय सरकार की WCCB के संयुक्त दल द्वारा इस संगठित गिरोह के दो ओर दिल्ली निवासी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन से पूछताछ में पता चला की उन्होंने कई महीने से सम्पर्क में रहकर, संगठित होकर, योजनाबद्ध तरीके से उक्त अपराधिक कृत्य को अंजाम दिया है। इस गिरोह के अन्य सदस्य इस लैंडस्केप मे अभी भी सक्रिय हो सकते है,इसकी संभावना से अभी इंकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान में इस गिरोह को ध्वस्त करने हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार की सबंधित कानून प्रवर्तन संस्था समन्वित होकर कार्यवाही कर रही है। अतः इन बिन्दुओ तारतम्य मे एवं भविष्य में चीता,तेंदुओं एवं अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा तथा उनके शिकार एवं तस्करी की रोकथाम हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे-

1. सघन गश्त: चीता लैंडस्केप- श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना जिले एवं अन्य सम्बंधित संवेदनशील वन क्षेत्रों/ राजस्व क्षेत्रो में वन विभाग द्वारा संयुक्त (क्षेत्रीय/वन्यजीव इकाई) रूप से सघन गश्त (विशेषकर रात्रि गश्त) तत्काल प्रभाव से बढ़ाई जावे। इसमें पुलिस विभाग के अमले से भी समन्वय स्थापित कर उनको भी शामिल करे।
2. 'एंटी-स्नेयर वॉक' (फंदों की खोज): मैदानी वन अमला अपने-अपने बीट क्षेत्रों में नियमित रूप से 'एंटी-स्नेयर वॉक' सुनिश्चित करे। जंगलों या पगडंडियों के आसपास लेग होल्ड ट्रैप (Leg Hold Trap) या तार के फंदे मिलने पर त्वरित जप्ति व वैधानिक कार्यवाही की जावे।
3. संदिग्धों की सघन चेकिंग: वन क्षेत्रों की सीमा से लगे ढाबों, होटलों, बस स्टैंडों और बस्तियों में बाहरी तथा संदिग्ध व्यक्तियों की सघन जांच व पूछताछ की जावे।
4. मुखबिर तंत्र की सक्रियता: सभी क्षेत्रीय अधिकारी अपने मुखबिर तंत्र (Informer Network) को अलर्ट मोड पर रखें। वन्यजीव अंगों की तस्करी से जुड़ी किसी भी सूचना पर तत्काल 'Quick Response' दिया जावे।
5. संवेदनशील स्थलों, हाट बाजार, बस स्टैन्ड, रेल्वे स्टेशन, पुराने शिकार स्थल,आदतन शिकारियों पर गहन निगरानी रखी जावे इस हेतु श्वान दस्ता का भी उपयोग किया जावे।
6. अंतर-विभागीय समन्वय: पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मैदानी स्तर पर आपसी समन्वय स्थापित करें ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना का तत्काल आदान-प्रदान कर त्वरित संयुक्त कार्यवाही की जा सके।
7. अंतरराज्यीय सीमा पर गश्ती की जावे, वहाँ के वन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों से भी जीवंत संपर्क स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही की जावे। कुछ भी संवेदनशील/संदेहास्पद पाये जाने पर इसकी सूचना इस कार्यालय, STSF एवं WCCB को दी जावे।

Digitally signed by
Sameeta Rajora
Date: 18-08-2026
12:43:10

(डॉ समीता राजोरा)

प्रधान मुख्य वन सरक्षक (वन्यजाव) एव
मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्य प्रदेश

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ एवं अध्यक्ष स्टेट टाइगर सेल, भोपाल
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक(आसूचना) पुलिस मुख्यालय भोपाल
4. क्षेत्र संचालक, चीता परियोजना एवं माधव टाइगर रिजर्व,शिवपुरी
5. पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर/चम्बल रेंज।
6. वन संरक्षक (क्षेत्रीय) शिवपुरी /ग्वालियर।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक , ग्वालियर एवं चम्बल रेंज।
8. समस्त वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय/वन्यजीव) शिवपुरी एवं ग्वालियर वन वृत्त ।
9. क्षेत्रीय उप निदेशक, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्युरो WCCB, सेंट्रल रीजन, भोपाल
10. क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स क्षेत्रीय इकाई,शिवपुरी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

--सही--

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्य प्रदेश